अप्रैल 2025

पैरवी संवाद

पब्लिक एडवोकेसी इनीशिएटिव्स फॉर राइट्स एण्ड वैल्यूज़ इन इण्डिया

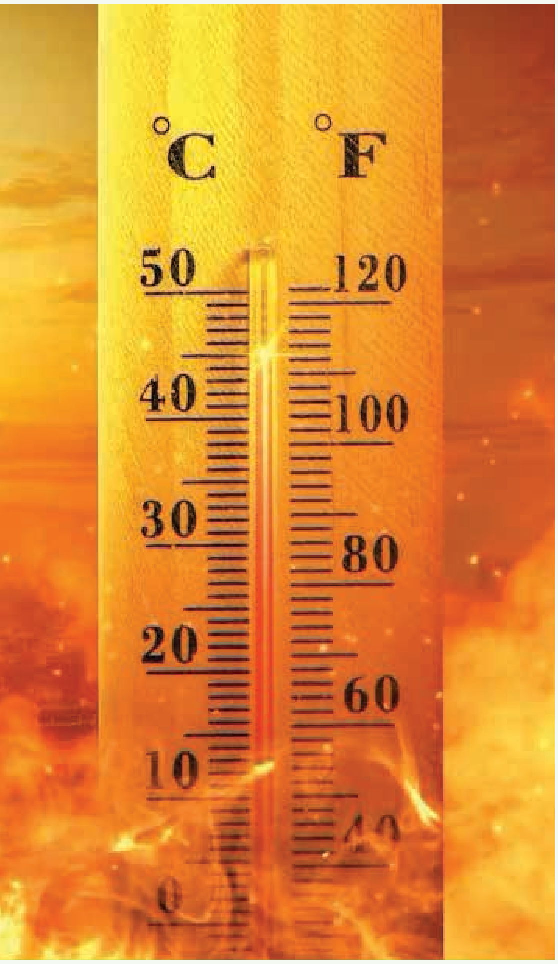

3 अक्टूबर 2024 को पत्रकार सुकन्या शांता की याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को आदेश दिया था कि तीन महीने के भीतर जेल मैनुअल को अपडेट किया जाए। सुकन्या शांता ने अपनी याचिका में जेल में जातिगत भेदभाव को उजागर किया था। जेल पुलिस व्यवस्था का ही एक हिस्सा है। अब हाल ही में कॉमन कॉज और सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ डेवलपिंग सोसाइटीज (सीएसडीएस) के लोकनीति प्रोग्राम द्वारा जारी एक और रिपोर्ट बताती है कि पुलिस बल किस तरह भेदभावपूर्ण पूर्वाग्रहों से ग्रस्त है और उसका कुछ हिस्सा हिंसा का समर्थक है। लगभग एक चौथाई पुलिसकर्मी जनता के बीच पुलिस पर 'भरोसे' के बजाय उसका 'डर' बिठाने के समर्थक हैं। यह चिंताजनक है, और शायद यही वजह है कि पुलिस द्वारा बल के दुरुपयोग की घटनाएं लगातार हो रही हैं। इससे भी ज्यादा चिंता की बात यह है कि ऐसी घटनाओं के जिम्मेदारों पर अमूमन कोई कार्रवाई नहीं होती। शायद यही वह बातचीत में मुहावरे के तौर पर कही जाने वाली 'वर्दी की गर्मी' है जो कमजोरों को झुलसाने के बाद भी जस की तस बरकरार रहती है।

इस वर्दी की गर्मी से अलग मौसम की गर्मी भी कमजोरों का जीना मुहाल कर रही है। मार्च में ही देश के कई हिस्सों में तापमान 40 डिग्री पार कर चुका था। पूरे भारत में मार्च में असामान्य रूप से जल्दी और तेज गर्मी की लहरों का सामना लोगों ने किया। बीते साल मार्च से जून तक 700 से ज्यादा लोगों की मौत लू के कारण हुई। इस साल भी मौसम के उतार-चढ़ाव के जो अनुमान हैं वे चिंताजनक हैं। जाहिर है कि ऐसी तीव्र गर्मी का सबसे ज्यादा प्रकोप वे झेलते हैं जो सामाजिक-आर्थिक रूप से कमजोर हैं। सिर्फ तापमान ही नहीं बढ़ रहा है बल्कि गर्मी सूचकांक (हीट इंडेक्स) में भी बदलाव हो रहा है, जिसके गंभीर परिणाम न केवल मनुष्य पर बल्कि हर जीव पर पड़ रहे हैं। निश्चित ही यह जलवायु परिवर्तन का परिणाम है, जिसे नकारा नहीं जा सकता। लेकिन क्या जलवायु परिवर्तन की मुख्यधारा की चर्चाओं में यह सबसे कमजोर तबका केन्द्र में है। यकीनन नहीं, तभी तो फरवरी 2025 में आयोजित एशिया पेसिफिक पीपुल्स फोरम ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट में 130 से अधिक नागरिक समाज संगठनों के प्रतिनिधियों ने 'लोगों के लिए विकास एजेंडा को पुनः प्राप्त करना, एशिया और प्रशांत में विकास न्याय को आगे बढ़ाना' जैसे विषय पर संवाद किया और जलवायु परिवर्तन से निपटने की वर्तमान प्रगति के खिलाफ मौन प्रदर्शन किया।

पैरवी संवाद के इस अंक में हमने इन्हीं मुद्दों पर चर्चा का प्रयास किया किया है। हमेशा की तरह गतिविधियों के संक्षिप्त समाचार भी हैं। आशा है इस अंक पर आपकी प्रतिक्रिया और सुझाव हमें जरूर प्राप्त होंगे।

– संपादक मंडल

इस अंक में ...

पृष्ठ 2

वर्दी के पीछे: औपनिवेशिक, व्यवस्थागत और सामाजिक कारकों का जटिल संबंध

पृष्ठ 7 अंग्रेजों के जमाने जैसी ही है आज भी भारत की जेलों की हालत

पृष्ठ 9

बढ़ती गर्मी की लहरें और बदलता हीट इंडेक्स; बचाव के उपाय

पृष्ठ 12

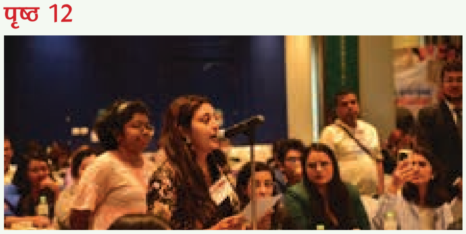

सतत विकास: एशिया पेसिफिक पीपुल्स फोरम

पृष्ठ 14 पैरवी गतिविधियाँ

वर्दी के पीछे: औपनिवेशिक, व्यवस्थागत और सामाजिक कारकों का जटिल संबंध

रजनीश साहिल

Image Source: www.newslaundry.com

2017 और 2022 के बीच हिरासत में मौत के 669 मामले दर्ज किए गए। 2018 से 2022 के बीच हिरासत में हुई मौतों के मामलों में से किसी भी मामले में दोषियों को कोई सजा नहीं हुई। 2020-2021 में, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने पुलिस अधिकारियों द्वारा किए गए मानवाधिकारों के कथित उल्लंघन के 11,000 से अधिक मामले दर्ज किए।

भारत में पुलिस द्वारा बल के दुरुपयोग की घटनाएं एक गहरी और लगातार बनी हुई समस्या है जो कानून के शासन को कमजोर करती है, जनता के विश्वास को मिटाती है और नागरिकों के मौलिक मानवाधिकारों का उल्लंघन करती है। ये घटनाएं, जिनमें हिरासत में यातना और मौतें, न्यायेतर हत्याएं और बल का अत्यधिक उपयोग शामिल है, ऐतिहासिक कारकों, व्यवस्थागत कमजोरियों और दंड से मुक्ति की व्यापक संस्कृति के जटिल संबंधों में निहित एक व्यवस्थागत समस्या है। भारत में पुलिस द्वारा बल के दुरुपयोग की वर्तमान स्थिति समझने और इस मुद्दे का व्यापक विश्लेषण करने के लिए हालिया रिपोर्टों, आंकड़ों और कुछ हालिया उदाहरणों को देखना जरूरी हो जाता है।

हाल ही में कॉमन कॉज और सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ डेवलपिंग सोसाइटीज (सीएसडीएस) के लोकनीति प्रोग्राम द्वारा जारी की गई रिपोर्ट से सामने आए आंकड़े इस समस्या की गंभीरता को भलीभांति उजागर करते हैं। अलग-अलग रैंक के 8000 से अधिक पुलिसकर्मियों से बातचीत पर आधारित इस रिपोर्ट के मुताबिक 20 प्रतिशत पुलिसकर्मी मानते हैं कि जनता के बीच डर पैदा करने के लिए 'कठोर तरीके' इस्तेमाल करना 'बहुत जरूरी' है, 35 प्रतिशत इसे 'कुछ हद तक जरूरी' मानते हैं और 55 प्रतिशत कुछ हद तक इसका समर्थन करते हैं। इसके अलावा यौन अपराधों के मामलों में चार में से एक पुलिसकर्मी भीड़ द्वारा अपराधी को सजा दिए जाने को सही मानता है। यानी अधिकांश पुलिसकर्मी पुलिस द्वारा कड़े तरीके इस्तेमाल करने और हिंसा के पक्ष में हैं।

किसी भी मामले में जांच की शुरुआत लोगों से पूछताछ और संदेह के दायरे में आए लोगों को हिरासत में लिए जाने के साथ होती है। हिरासत में लेने/गिरफ्तार करने के कुछ नियम-कायदे और प्रक्रिया भी हैं। रिपोर्ट के मुताबिक 24 प्रतिशत पुलिसकर्मियों ने बताया कि उन्होंने गिरफ्तारी के समय 'शायद ही कभी' इस प्रक्रिया का पालन किया है, वहीं केवल 41 प्रतिशत पुलिसकर्मी हमेशा प्रक्रिया के पालन का दावा करते हैं।

एक व्यवस्थागत समस्या: व्यापकता और स्वरूप

भारत में पुलिस द्वारा बल के दुरुपयोग की व्यापकता चौंकाने वाली है। सुरक्षा की संवैधानिक गारंटी और कानूनी सुरक्षा उपाय मौजूद हैं लेकिन उसके बावजूद पुलिस का यह रवैया जारी है और इसकी सटीक सीमा निर्धारित करना मुश्किल है क्योंकि रिपोर्टें कम दर्ज की जाती हैं और आंकड़ों में विसंगतियां हैं, फिर भी उपलब्ध आंकड़े एक परेशान करने वाली तस्वीर पेश करते हैं।

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC), जो पुलिस द्वारा किए गए कथित मानवाधिकार उल्लंघनों के मामलों को दर्ज करता है, हर साल बड़ी संख्या में शिकायतें प्राप्त करता है। उदाहरण के लिए, 2020-2021 में, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने पुलिस अधिकारियों द्वारा किए गए मानवाधिकारों के कथित उल्लंघन के 11,000 से अधिक मामले दर्ज किए। हालांकि यह आंकड़ा पिछले वर्षों की तुलना में कम है, फिर भी यह एक महत्वपूर्ण और जारी समस्या की ओर इशारा करता है।

हिरासत में मौतें, जहां व्यक्ति पुलिस हिरासत में मर जाते हैं, पुलिस अत्याचार का एक विशेष और जघन्य रूप है। आधिकारिक सरकारी आंकड़ों से पता चलता है कि 2017 और 2022 के बीच, हिरासत में मौत के 669 मामले दर्ज किए गए। हालांकि, कई लोगों का मानना है कि वास्तविक संख्या इससे कहीं अधिक होने की संभावना है, क्योंकि अलग-अलग संस्थाओं के आंकड़ों में भिन्नता है। जैसे कि 2020 में, एनसीआरबी के मुताबिक 76, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के मुताबिक 70 और नेशनल कैम्पेन अगेन्स्ट टॉर्चर के मुताबिक 111 हिरासत में मौतें हुईं। इसके साथ ही यह भी चौंकाने वाला तथ्य है कि 2018 से 2022 के बीच हिरासत में हुई मौतों के मामलों में से किसी भी मामले में दोषियों को कोई सजा नहीं हुई। यह तथ्य इस बात को उजागर करता है कि इस तरह की मौतें नियमित रूप से होती रहती हैं और इनके लिए जिम्मेदार पुलिस अधिकारी सजा से बचे रहते हैं।

हिरासत में यातना भी व्यापक है, रिपोर्टों से संकेत मिलता है कि बड़ी संख्या में व्यक्तियों को पूछताछ के क्रूर तरीकों का सामना करना पड़ता है, जिसमें शारीरिक पिटाई, बिजली के झटके, यौन हमला और मनोवैज्ञानिक शोषण शामिल है। ये प्रथाएं न केवल पीड़ितों को भारी पीड़ा पहुंचाती हैं बल्कि एक निष्पक्ष और न्यायपूर्ण कानूनी प्रणाली के सिद्धांतों को भी कमजोर करती हैं। रिपोर्ट के मुताबिक 30 प्रतिशत पुलिसकर्मी गंभीर अपराधों की पूछताछ के मामले में थर्ड डिग्री को सही मानते है, वहीं 9 प्रतिशत पुलिसकर्मी छोटे-मोटे अपराधों में भी पूछताछ के दौरान थर्ड डिग्री को जायज मानते हैं। रिपोर्ट यह भी बताती है कि इसके शिकार ज्यादातर गरीब और हाशिए के समुदायों के लोग होते हैं।

न्यायेतर हत्याएं, जिन्हें अक्सर 'मुठभेड़ में मौत' कहा जाता है, भारत में पुलिस हिंसा का एक और गहरा चिंताजनक पहलू है। इन मामलों में, व्यक्तियों को बिना किसी कानूनी सुनवाई या उचित प्रक्रिया के पुलिस द्वारा मार दिया जाता है। हालांकि पुलिस अक्सर इन हत्याओं को यह दावा करके सही ठहराती है कि मृतक खतरनाक अपराधी या आतंकवादी थे। हालांकि ऐसे कई उदाहरण हैं जहां इन दावों का खंडन किया गया और सामने आया कि ये हत्याएं पूर्व नियोजित या अनुचित थीं। रिपोर्ट के मुताबिक 22 प्रतिशत पुलिसकर्मी मानते हैं कि खतरनाक अपराधियों पर कानूनी कार्रवाई करने के बजाय उन्हें मार देना बेहतर है। हालांकि 74 प्रतिशत पुलिकर्मियों का मानना है कि अपराधी कितना भी खतरनाक क्यों न हो उसे पकड़कर उचित कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए। कुछ राज्यों में मुठभेड़ों की उच्च संख्या पुलिस बल के दुरुपयोग की संभावना और ऐसे मामलों में जवाबदेही की कमी के बारे में गंभीर चिंताएं पैदा करती है।

पुलिस द्वारा विरोध प्रदर्शनों और भीड़ नियंत्रण की स्थितियों के दौरान बल का अत्यधिक उपयोग भी एक आम घटना है। पुलिस अक्सर शांतिपूर्ण सभाओं से निपटने के दौरान भी लाठी, आंसू गैस, पानी की तोपों और फायर आर्म्स का उपयोग करती है। बल का यह असंगत उपयोग अक्सर गंभीर चोटों और यहां तक कि मौतों का कारण बनता है, जिससे कानून प्रवर्तन में जनता का विश्वास और कम हो जाता है।

विरासत ने पुलिस बल के भीतर सत्तावादिता की संस्कृति और उचित प्रक्रिया के प्रति अवहेलना में योगदान दिया है। व्यवस्था बनाए रखने पर जोर, अक्सर बल के उपयोग के माध्यम से, सदियों से व्यवस्था में अंतर्निहित रहा है।

गहरी जड़ें: कारकों का एक जटिल जाल

भारत में पुलिस द्वारा बल के दुरुपयोग की निरंतरता के लिए परस्पर जुड़े कारकों के एक जटिल जाल को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है।

औपनिवेशिक विरासत: भारतीय पुलिस व्यवस्था का मानस औपनिवेशिक विरासत से संचालित है, जिसे नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करने के बजाय राज्य के हितों की सेवा करने के लिए डिजाइन किया गया था। इस विरासत ने पुलिस बल के भीतर सत्तावादिता की संस्कृति और उचित प्रक्रिया के प्रति अवहेलना में योगदान दिया है। व्यवस्था बनाए रखने पर जोर, अक्सर बल के उपयोग के माध्यम से, सदियों से व्यवस्था में अंतर्निहित रहा है।

जवाबदेही की कमी: पुलिस अत्याचारों को कायम रखने वाले सबसे महत्वपूर्ण कारकों में से एक प्रभावी जवाबदेही तंत्र की कमी है। पुलिस अधिकारी अक्सर अपने कार्यों के लिए दंड से मुक्त रहते हैं, आंतरिक जांच में पारदर्शिता और निष्पक्षता का अभाव होता है। न्यायिक कार्यवाही की धीमी गति और दोषी अधिकारियों पर मुकदमा चलाने के लिए अधिकारियों की अनिच्छा इस समस्या को और बढ़ा देती है। पुलिस दुर्व्यवहार के न्यूनतम, लगभग न के बराबर मामलों में ही दोषसिद्धि होती है और पुलिस अधिकारी को दंड दिया जाता है, जिससे यह संदेश जाता है कि अधिकारी बिना दंड के भय के साथ कार्य कर सकते हैं।

व्यवस्थागत कमजोरियां: भारत में पुलिस बल अपर्याप्त संसाधनों, अपर्याप्त प्रशिक्षण और व्यवस्थागत भ्रष्टाचार से ग्रस्त है। अत्यधिक बोझ और कम संसाधनों वाले पुलिस अधिकारी त्वरित परिणाम प्राप्त करने के लिए बल और यातना जैसे शॉर्टकट का सहारा लेते हैं। आधुनिक उपकरणों और जांच तकनीकों की कमी भी इस समस्या में योगदान करती है। कई पुलिस अधिकारियों के पास जटिल स्थितियों को संभालने, आधुनिक तकनीकों का उपयोग करके जांच करने और मानवाधिकारों का सम्मान करने के लिए आवश्यक प्रशिक्षण का अभाव है। पुलिस बल का आधुनिकीकरण करने और उन्हें अपने कर्तव्यों को प्रभावी ढंग से निभाने के लिए आवश्यक संसाधनों और कौशल से लैस करने में विफलता इस समस्या में योगदान करती है। मानवाधिकारों, डी-एस्केलेशन तकनीकों और आधुनिक जांच विधियों पर जोर देने वाला प्रशिक्षण पुलिस व्यवहार को बदलने के लिए महत्वपूर्ण है।

सामाजिक और सांस्कृतिक कारक: जातिगत भेदभाव, धार्मिक पूर्वाग्रह और लैंगिक असमानता सहित गहरी जड़ें जमा चुके सामाजिक और सांस्कृतिक पूर्वाग्रह, पुलिस अत्याचारों में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सीमांत समुदाय के सदस्य असंगत रूप से लक्षित होते हैं और पुलिस इन समूहों से निपटने के दौरान अक्सर बल का अनुचित प्रयोग करती है। ये पूर्वाग्रह पुलिस धारणाओं और कार्यों को प्रभावित करते हैं, जिससे भेदभावपूर्ण व्यवहार और हिंसा हो सकती है।

राजनीतिक हस्तक्षेप: पुलिस के काम में राजनीतिक हस्तक्षेप व्यापक है। राजनेता अक्सर पुलिस बल का उपयोग अपने विरोधियों को निशाना बनाने, असंतोष को दबाने और अपने हितों की रक्षा करने के लिए करते हैं। यह पुलिस की निष्पक्षता को कमजोर करता है और कानून को बनाए रखने की उनकी क्षमता में जनता के विश्वास को मिटाता है। जब पुलिस

हाल के वर्षों में भारत में पुलिस बर्बरता/दुर्व्यवहार की कुछ घटनाएं

तमिलनाडु में हिरासत में मौतें (जून 2020): तूतीकोरिन के व्यापारी पी जयराज और उनके बेटे बेनिक्स को लॉकडाउन उल्लंघन के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। आरोप है कि पुलिस हिरासत में उन्हें बुरी तरह से पीटा गया और यौन उत्पीड़न किया गया, जिससे उनकी मौत हो गई। मद्रास उच्च न्यायालय ने इस मामले का स्वतः संज्ञान लिया और कई पुलिस अधिकारियों को गिरफ्तार किया गया।

गुजरात में सड़क पर पिटाई (सितंबर 2020): वडोदरा में एक व्यक्ति को कथित तौर पर पुलिस ने सड़क पर पीटा था, जिसका वीडियो वायरल हुआ था और पुलिस की कार्रवाई की आलोचना हुई थी। इस मामले में शामिल पुलिसकर्मियों के खिलाफ विभागीय जांच शुरू की गई थी।

कर्नाटक में दलित युवक की हिरासत में मौत (अप्रैल 2021): बेंगलुरु में एक दलित युवक को चोरी के आरोप में गिरफ्तार किया गया था और बाद में पुलिस हिरासत में उसकी मौत हो गई। परिवार ने पुलिस पर प्रताड़ना का आरोप लगाया था।

असम में विरोध प्रदर्शन पर गोलीबारी (सितंबर 2021): दरांग जिले के सिपाझार में बेदखल किए गए लोगों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने गोलीबारी की, जिसमें मोइनुल हक सहित तीन लोगों की मौत हो गई। इस घटना के वीडियो में पुलिस की बर्बरता स्पष्ट रूप से दिखाई दी। असम सरकार ने इस घटना की जांच के लिए एक न्यायिक आयोग का गठन किया था।

मध्य प्रदेश में आदिवासी व्यक्ति की पिटाई (जून 2022): इंदौर में एक आदिवासी व्यक्ति को कथित तौर पर चोरी के आरोप में पुलिस ने बुरी तरह पीटा था। इस घटना का वीडियो भी वायरल हुआ था, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए कुछ कर्मियों को निलंबित किया था।

महाराष्ट्र में हिरासत में मौत (नवंबर 2022): सांगली जिले में एक व्यक्ति की पुलिस हिरासत में मौत हो गई थी, जिसके बाद परिजनों ने पुलिस पर प्रताड़ना का आरोप लगाया था। इस मामले में भी जांच के आदेश दिए गए थे।

रामपुर में पुलिस फायरिंग में दलित युवक की मौत (मार्च 2024): रामपुर के सिलाइबारा गांव में बाबासाहेब अंबेडकर की प्रतिमा स्थापित करने के दौरान हुए विवाद में पुलिस फायरिंग में एक दलित युवक सुमेश की मौत हो गई। परिवार और स्थानीय समुदाय ने घटना की निष्पक्ष जांच की मांग की, लेकिन पुलिस द्वारा जल्दबाजी में शव का अंतिम संस्कार करने के आरोप भी लगे।

उड़ीसा में महिला के साथ दुर्व्यवहार (अक्टूबर 2024): आरोप है कि भरतपुर पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराने गई महिला के साथ इंस्पेक्टर सहित पुलिस अधिकारियों ने मारपीट, छेड़छाड़ और यौन उत्पीड़न किया। उसके मंगेतर, जो एक सेना अधिकारी हैं, के साथ भी मारपीट की गई और उन्हें गैरकानूनी रूप से हिरासत में रखा गया। ओडिशा सरकार ने त्वरित कार्रवाई करते हुए संबंधित पुलिस अधिकारियों को निलंबित कर दिया और मामले की जांच जारी है।

किसानों व छात्रों पर लाठीचार्ज (2020-21): करनाल में किसानों के विरोध प्रदर्शन पर पुलिस द्वारा किए गए लाठीचार्ज में कई किसान घायल हो गए थे। नए कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर दिल्ली पुलिस ने कथित तौर पर लाठीचार्ज किया था, जिसमें कुछ छात्र घायल हुए थे।

की कार्रवाई कानून के शासन के बजाय राजनीतिक विचारों से प्रभावित होती है, तो दुरुपयोग का खतरा काफी बढ़ जाता है।

हिंसा की संस्कृति: पुलिस बल के भीतर हिंसा और दंड से मुक्ति की संस्कृति इस समस्या को कायम रखती है। क्रूर तरीकों को अक्सर कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए स्वीकार्य या आवश्यक भी माना जाता है, और ऐसा करने में शामिल अधिकारी शायद ही कभी जवाबदेह होते हैं। यह एक दुष्चक्र बनाता है जहां हिंसा अधिक हिंसा को जन्म देती है, और कानून का शासन कमजोर होता है।

सीमांत समुदायों पर असंगत प्रभाव

भारत में पुलिस अत्याचारों से सीमांत और कमजोर समुदाय असंगत रूप से प्रभावित होते हैं, जिनमें शामिल हैं-

दलित: दलित, जिन्होंने ऐतिहासिक रूप से भेदभाव और उत्पीड़न का सामना किया है, अक्सर अपनी सामाजिक स्थिति के कारण पुलिस द्वारा लक्षित किए जाते हैं। उन्हें मनमानी गिरफ्तारी, हिरासत में यातना और न्यायेतर हत्याओं के अधीन किए जाने की अधिक संभावना होती है।

अल्पसंख्यक समुदाय: अल्पसंख्यक समुदाय भी भेदभाव का सामना करते हैं और अक्सर पुलिस द्वारा लक्षित किए जाते हैं, खासकर आतंकवाद या सांप्रदायिक हिंसा के आरोपों से जुड़े मामलों में। उन्हें उनकी धार्मिक पहचान के आधार पर प्रोफाइलिंग, उत्पीड़न और हिंसा का सामना करना पड़ सकता है।

जनजातीय आबादी: डी-नोटिफाइड जनजातीय समुदाय (जिन्हें अक्सर ही आदतन अपराधी मान लिया जाता है) व अन्य जनजातीय समुदाय, जो अक्सर दूरदराज के क्षेत्रों में रहते हैं और सामाजिक और आर्थिक हाशिए का सामना करते हैं, वे भी पुलिस दुर्व्यवहार के लिए कमजोर हैं। भूमि विवादों, संसाधन निष्कर्षण या आपराधिक गतिविधि के आरोपों से जुड़े मामलों में उन्हें लक्षित किया जा सकता है।

महिलाएं: महिलाएं, विशेष रूप से सीमांत समुदायों की महिलाएं पुलिस द्वारा यौन हिंसा और दुर्व्यवहार के अन्य रूपों के उच्च जोखिम में हैं। हिरासत में बलात्कार और यौन उत्पीड़न विशेष रूप से जघन्य अपराध हैं जो अक्सर दर्ज ही नहीं किए जाते हैं।

इन समुदायों को लक्षित करना पुलिस बल और व्यापक समाज के भीतर गहरी जड़ें जमा चुके सामाजिक पूर्वाग्रहों को दर्शाता है।

आगे का रास्ताः सार्थक सुधार की ओर

भारत में पुलिस अत्याचारों के संकट को दूर करने के लिए एक बहुआयामी दृष्टिकोण की आवश्यकता है जो व्यवस्थागत मुद्दों और अंतर्निहित कारणों दोनों से निपटने में सक्षम हो। सार्थक सुधार के लिए निम्नलिखित उपाय आवश्यक और उपयोगी हो सकते हैं -

पुलिस को एक आधुनिक, पेशेवर और जवाबदेह संस्था में बदलने के लिए व्यापक पुलिस सुधार आवश्यक हैं। इसमें पुलिस की संरचना, कामकाज और जवाबदेही में महत्वपूर्ण बदलावों का आह्वान करने वाले विभिन्न आयोगों और समितियों की सिफारिशों को लागू करना शामिल है। पुलिस अत्याचारों को रोकने और दंडित करने के लिए कानूनी और नीतिगत ढांचे को मजबूत करना आवश्यक है। पुलिस अत्याचारों में योगदान करने वाले गहरे सामाजिक और सांस्कृतिक पूर्वाग्रहों को दूर करने के लिए दीर्घकालिक प्रयास जरूरी हैं और साथ ही पुलिस व समुदायों के बीच विश्वास का निर्माण करना, सहयोग को बढ़ावा देने और दुर्व्यवहारों को रोकने के लिए आवश्यक कदम है।

पुलिस सुधार:

पुलिस बल को एक आधुनिक, पेशेवर और जवाबदेह संस्था में बदलने के लिए व्यापक पुलिस सुधार आवश्यक हैं। इसमें पुलिस की संरचना, कामकाज और जवाबदेही में महत्वपूर्ण बदलावों का आह्वान करने वाले विभिन्न आयोगों और समितियों की सिफारिशों को लागू करना शामिल है। प्रमुख सुधारों में शामिल हैं-

- **जांच और कानून-व्यवस्था कार्यों को अलग करना:** इससे पुलिस बल की दक्षता और विशेषज्ञता में सुधार करने में मदद मिलेगी।
- **पुलिस प्रमुखों के लिए निश्चित कार्यकाल:** इससे राजनीतिक हस्तक्षेप कम होगा और पुलिस नेतृत्व के भीतर अधिक स्थिरता सुनिश्चित होगी।
- **स्वतंत्र पुलिस शिकायत प्राधिकरण स्थापित करना:** यह नागरिकों को पुलिस दुर्व्यवहार की रिपोर्ट करने और निष्पक्ष जांच सुनिश्चित करने के लिए एक तंत्र प्रदान करेगा।

जवाबदेही तंत्र:

पुलिस दुर्व्यवहार को रोकने और यह सुनिश्चित करने के लिए कि अपराधियों को न्याय के कटघरे में लाया जाए, जवाबदेही तंत्र को मजबूत करना महत्वपूर्ण है। इसमें शामिल हैं-

- **त्वरित और निष्पक्ष जांच सुनिश्चित करना:** पुलिस दुर्व्यवहार के सभी आरोपों की पूरी तरह से और निष्पक्षता से जांच की जानी चाहिए, जिसमें स्पष्ट समय-सीमा और प्रक्रियाएं हों।

- **दोषी अधिकारियों पर मुकदमा चलाना और उचित दंड का प्रावधान:** अत्याचार करने वाले पुलिस अधिकारियों पर उनकी रैंक या पद की परवाह किए बिना मुकदमा चलाया जाना चाहिए और दोषी पाए जाने पर उचित दंड दिया जाना चाहिए।
- **न्यायपालिका की भूमिका को मजबूत करना:** न्यायपालिका को पुलिस को जवाबदेह ठहराने और सभी मामलों में उचित प्रक्रिया का पालन सुनिश्चित करने में सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए।

कानूनी और नीतिगत ढांचा:

पुलिस द्वारा बल के दुरुपयोग को रोकने के लिए कानूनी और नीतिगत ढांचे को मजबूत करना आवश्यक है। इसमें शामिल हैं-

- **यातना के खिलाफ विशिष्ट कानून बनाना:** भारत को एक व्यापक कानून की आवश्यकता है जो यातना को अपराध घोषित करे और अपराधियों के लिए सख्त दंड का प्रावधान करे।
- **स्पष्ट दिशानिर्देश और प्रोटोकॉल लागू करना:** पुलिस को बल के उपयोग, गिरफ्तारी प्रक्रियाओं और हिरासत में लिए गए लोगों के साथ व्यवहार पर स्पष्ट दिशा-निर्देश और प्रोटोकॉल प्रदान किए जाने चाहिए, जिनका पालन न करना चूक के बजाय कानून का उल्लंघन माना जाए।
- **प्रशिक्षण और आधुनिकीकरण:** पुलिस अधिकारियों को मानवाधिकारों, आधुनिक जांच तकनीकों और डी-एस्केलेशन रणनीति में पर्याप्त प्रशिक्षण प्रदान करना महत्वपूर्ण है। प्रशिक्षण कार्यक्रमों में मानव गरिमा का सम्मान करने, कानूनी प्रक्रियाओं का पालन करने और केवल आवश्यक होने पर ही बल का उपयोग करने के महत्व पर जोर दिया जाना चाहिए। बेहतर उपकरण, प्रौद्योगिकी और संसाधनों के साथ पुलिस बल का आधुनिकीकरण भी उनकी प्रभावशीलता में सुधार करने और बल पर उनकी निर्भरता को कम करने में मदद करेगा।

सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तन:

पुलिस अत्याचारों में योगदान करने वाले गहरे सामाजिक और सांस्कृतिक पूर्वाग्रहों को दूर करने के लिए दीर्घकालिक प्रयासों की आवश्यकता है। इसमें शामिल हैं-

- **मानवाधिकारों के बारे में जागरूकता को बढ़ावा देना:** सार्वजनिक शिक्षा अभियान और जागरूकता कार्यक्रम मानवाधिकारों के लिए सम्मान की संस्कृति को बढ़ावा देने और भेदभावपूर्ण दृष्टिकोण को चुनौती देने में मदद कर सकते हैं।
- **भेदभावपूर्ण दृष्टिकोण को चुनौती देना:** प्रयास किए जाने चाहिए कि उन सामाजिक मानदंडों, रूढ़ियों और पूर्वाग्रहों को चुनौती दी जा सके जो कमजोर समुदायों के हाशियाकरण और लक्ष्यीकरण में योगदान करते हैं।
- **सम्मान और समानता की संस्कृति को बढ़ावा देना:** एक ऐसा समाज बनाना जहां सभी व्यक्तियों के साथ, उनकी सामाजिक पृष्ठभूमि की परवाह किए बिना, गरिमा और सम्मान के साथ व्यवहार किया जाए पुलिस अत्याचारों को रोकने के लिए आवश्यक है।
- **राजनीतिक इच्छाशक्ति:** सार्थक सुधारों को लागू करने और पुलिस को जवाबदेह ठहराने के लिए सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकता मजबूत राजनीतिक इच्छाशक्ति है। राजनेताओं को पुलिस के काम में हस्तक्षेप करने से बचना चाहिए और पुलिस को स्वतंत्र रूप से और निष्पक्षता से कार्य करने की अनुमति देनी चाहिए।

सामुदायिक जुड़ाव:

पुलिस और जिन समुदायों की वे सेवा करते हैं, उनके बीच विश्वास का निर्माण करना सहयोग को बढ़ावा देने और दुर्व्यवहारों को रोकने के लिए आवश्यक है। कुछ प्रयासों से इसे प्राप्त किया जा सकता है-

- **सामुदायिक पुलिसिंग पहल:** इन पहलों में पुलिस स्थानीय समुदायों के साथ मिलकर उनकी चिंताओं को दूर करने और विश्वास व आपसी सम्मान पर आधारित संबंध बनाने में शामिल होती है।
- **सार्वजनिक मंच और संवाद:** पुलिस और समुदाय के बीच संवाद के लिए मंच बनाना समझ को बढ़ावा देने और शिकायतों का समाधान करने में मदद कर सकता है।
- **पारदर्शिता और जवाबदेही:** पुलिस को अपने कार्यों में पारदर्शी होना चाहिए और लोगों के प्रति जवाबदेह होना चाहिए जिनकी वे सेवा करते हैं।
- **सिविल सोसाइटी और मीडिया की भूमिका:** सिविल सोसाइटी संगठन और मीडिया पुलिस अत्याचारों का दस्तावेजीकरण करने, इस मुद्दे के बारे में जागरूकता बढ़ाने और सुधारों की वकालत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उनका काम पुलिस को जवाबदेह ठहराने और पीड़ितों की आवाज का सुना जाना सुनिश्चित करने में आवश्यक है।

निष्कर्षतः पुलिस द्वारा बल का दुरुपयोग एक ऐसा गंभीर और लगातार बना हुआ संकट है जिसके लिए तत्काल और निरंतर ध्यान देने की आवश्यकता है। जिन बिंदुओं पर संक्षिप्त रूप से चर्चा की गई वे समस्या की व्यवस्थागत प्रकृति और व्यापक सुधारों की तत्काल आवश्यकता को उजागर करते हैं। गहरी जड़ें जमा चुके कारणों को दूर करके, जवाबदेही तंत्र को मजबूत करके और मानवाधिकारों के लिए सम्मान की संस्कृति को बढ़ावा देकर, भारत अपने पुलिस बल को एक अधिक न्यायपूर्ण, प्रभावी और अधिकार-सम्मानजनक संस्था में बदलने की दिशा में सार्थक कदम उठा सकता है। सुधार का समय बहुत पहले ही आ चुका है, जिसकी दिशा में त्वरित कदम उठाने या देरी करने पर भारत के लोकतंत्र का भविष्य व उसके नागरिकों का कल्याण निर्भर करता है।

अंग्रेजों के जमाने जैसी ही है आज भी भारत की जेलों की हालत

साभार ✍ डॉयचे वेले, दिल्ली

11 अप्रैल 2025

Image Source: istockphoto.com/FOTOKITA

करीब दो साल पहले संसद में गृह मामलों की स्थायी समिति ने 'जेल - स्थितियां, बुनियादी ढांचा और सुधार' पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी जिसमें जेलों में क्षमता से ज्यादा कैदियों पर चिंता जताई गई थी। समिति ने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि देश भर की जेलों में कैदियों की औसत दर 130 फीसदी है।

अंग्रेजों के जमाने में जिस तरह कैदियों को जेल में रखा जाता था वह भारत की जेलों में आज भी जारी है। जेल में 80 फीसदी विचाराधीन कैदी हैं, और इनकी वजह से वहां भारी भीड़ है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग यानी एनएचआरसी ने देश भर की जेलों में बंद कैदियों की दिक्कतों का खुद संज्ञान लेते हुए सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को नोटिस जारी किया है।

आयोग ने एक बयान में कहा है कि जेलों में बंद कैदियों को तमाम दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, खासकर महिला कैदियों को। आयोग ने जेलों की जिन प्रमुख समस्याओं को नोटिस किया है उनमें जेलों में क्षमता से ज्यादा कैदियों का होना, जेलों में बुनियादी सुविधाओं और स्वास्थ्य सुविधाओं का अभाव शामिल है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने अपने बयान में कहा है, 'देश भर की विभिन्न जेलों का दौरा करने के बाद तैयार रिपोर्ट और शिकायतों के माध्यम से इन मुद्दों को आयोग के संज्ञान में लाया गया है', इसके बाद आयोग ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को नोटिस जारी कर उनसे चार हफ्ते के भीतर रिपोर्ट मांगी है। आयोग ने ये भी बताया है कि जो रिपोर्ट सौंपी जाए उसमें किन बातों का जिक्र होना चाहिए। आयोग ने राज्यों से जो जानकारी मांगी है उनमें राज्य की जेलों में बंद महिला कैदियों की संख्या बताने को कहा है। इसके साथ ही बच्चों के साथ रहने वाली महिला कैदियों की संख्या भी मांगी गई है। आयोग ने दोषी और विचाराधीन महिला कैदियों की संख्या भी मांगी है यानी जिन्हें अभी सजा नहीं मिली है, सिर्फ ट्रायल चल रहा है। इसके अलावा उन विचाराधीन महिला और पुरुष कैदियों का भी आयोग ने ब्यौरा मांगा है जो एक साल से ज्यादा समय से जेल में बंद हैं।

आयोग ने महिला कैदियों के सम्मान और सुरक्षा के अधिकारों के उल्लंघन, उनके खिलाफ बढ़ती

हिंसा के कारण मानसिक तनाव, पर्याप्त शौचालयों का अभाव, सैनिटरी नैपकिन और स्वच्छ पेयजल सुविधाओं जैसी बुनियादी जरूरतों के पूरा नहीं होने पर चिंता जताई है।

आयोग ने अपने बयान में जेलों में मिलने वाले भोजन की गुणवत्ता पर भी सवाल उठाया है जिसकी वजह से कुपोषण होता है, खासकर गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माँओं के मामलों में। इसके अलावा महिला कैदियों के साथ रहने वाले बच्चों की शिक्षा, कैदियों को मिलने वाली कानूनी सहायता, व्यावसायिक प्रशिक्षण, पुनर्वास जैसे मामलों में भी चिंता जताई गई है।

करीब दो साल पहले संसद में गृह मामलों की स्थायी समिति ने 'जेल - स्थितियां, बुनियादी ढांचा और सुधार' पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी जिसमें जेलों में क्षमता से ज्यादा कैदियों पर चिंता जताई गई थी। समिति ने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि देश भर की जेलों में कैदियों की औसत दर 130 फीसदी है। यानी यदि जेल की क्षमता सौ कैदियों की है तो वहां 130 कैदी रह रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, दिल्ली और मध्य प्रदेश सहित छह राज्यों की जेलों में भारत के आधे से ज्यादा कैदी बंद हैं। समिति ने ज्यादा भीड़भाड़ वाली जेलों से कैदियों को उसी राज्य के भीतर या दूसरे राज्यों की जेलों में ट्रांसफर करने की सिफारिश की थी। समिति ने भी उन मुद्दों पर सवाल उठाए थे जिन पर मानवाधिकार आयोग ने संज्ञान लिया है। इसके अलावा समिति ने जेल कर्मचारियों की कमी और जेल की नौकरियों में महिलाओं की कम संख्या पर भी सवाल उठाए थे और सिफारिश की थी कि खाली पदों को तीन महीने के भीतर भरा जाना चाहिए।

यूपी में वरिष्ठ पदों पर रह चुके आईपीएस अधिकारी अमिताभ ठाकुर को पुलिस विभाग में व्याप्त खामियों को उजागर करने की वजह से कुछ साल पहले जबरन रिटायर कर दिया गया था। अमिताभ ठाकुर आईजी रूल्स एंड मैन्युअल्स के पद पर रह चुके हैं। रिटायर करने के बाद उन्हें गिरफ्तार भी किया गया था जिसकी वजह से वो कई दिनों तक जेल में भी रहे।

डीडब्ल्यू से बातचीत में अमिताभ ठाकुर कहते हैं कि उनके पास एक अफसर और कैदी, दोनों के अनुभव हैं। पहले उन्होंने एक अफसर के अनुभव को साझा किया। अमिताभ ठाकुर कहते हैं, 'क्षमता से ज्यादा कैदी तो सबसे बड़ी समस्या है ही, जेल मैन्युअल में कैदियों की संख्या को लेकर कोई स्पष्टता नहीं है कि किसी जेल में कितने अधिकतम कैदी रहेंगे। संख्या का निर्धारण क्यों और कैसे होगा, यह भी स्पष्ट नहीं है।' अमिताभ ठाकुर आगे कहते हैं, 'दूसरी सबसे बड़ी समस्या हमारी न्यायिक व्यवस्था में है जिसकी वजह से विचाराधीन कैदियों की संख्या इतनी ज्यादा है। विचाराधीन कैदी पूरी दुनिया में कहीं भी इतने ज्यादा नहीं हैं। हमारे यहां तो जेलों में करीब 80 फीसदी विचाराधीन कैदी ही हैं जबकि तमाम देशों में यह संख्या शून्य है। इस पर न्यायालयों को विचार करने की जरूरत है।'

'नेहरू ने जेल के अपने जो अनुभव लिखे थे, उन्हें पढ़ते हुए ऐसा लग रहा था जैसे मैं अपने अनुभव बयां कर रहा हूं, यानी तब से लेकर अब तक जेल के सिस्टम और जेल के अफसरों के रवैये में कोई बदलाव नहीं है।'

जेलों में बढ़ती भीड़ पर सुप्रीम कोर्ट भी कई बार चिंता जता चुका है। नेशनल क्राइम रिकार्ड्स ब्यूरो यानी एनसीआरबी के मुताबिक, 31 दिसंबर, 2021 तक भारतीय जेलों में कुल 5,54,034 कैदी थे लेकिन इनमें से महज 22 फीसदी कैदी ही ऐसे थे जिन्हें अदालतों ने दोषी साबित किया था और वो उसकी सजा काट रहे थे। बाकी कैदी विचाराधीन थे। इनकी संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। नेशनल ज्यूडिशियल डाटा ग्रिड के आंकड़ों के मुताबिक देश भर की निचली अदालतों में चार करोड़ से ज्यादा मामले लंबित हैं और इनमें से ज्यादातर मामले ऐसे हैं जो एक साल से ज्यादा पुराने हैं।

सुप्रीम कोर्ट के वकील अभिषेक सिंह कहते हैं कि जेलों में इतनी ज्यादा संख्या में विचाराधीन कैदियों का होना न केवल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के कामकाज पर सवाल उठाता है बल्कि जेलों में बंद कैदियों के लिए अमानवीय स्थिति भी पैदा करता है। जेलों में बुनियादी सुविधाओं की कमी के लिए भी एक कारण क्षमता से ज्यादा कैदियों का होना है।

अमिताभ ठाकुर कहते हैं, 'मेरा अनुभव यह है कि जेल मैन्युअल में जो बातें कही भी गई हैं, उनके दोबारा मूल्यांकन की जरूरत है। खाना तो खराब नहीं है लेकिन अन्य बुनियादी सुविधाओं की बहुत कमी है।' अमिताभ ठाकुर ने कहा कि 'अनुच्छेद 19 के मुताबिक, जीवन जीने का अधिकार कैदियों को भी है, लेकिन जेल के अफसर और कर्मचारियों को ऐसा नहीं लगता है। जेल को लगता है कि हम खाना दे रहे हैं यही बहुत है। इन्हें और किसी चीज की जरूरत नहीं है। जबकि जेल में रहने वाले व्यक्ति को जेल के भीतर बेहतर जीवन सुनिश्चित कराना सरकार की जिम्मेदारी है।' उन्होंने डीडब्ल्यू से कहा, 'सच्चाई ये है कि कागज पर जो दे भी रहे हैं, उनमें भ्रष्टाचार और बंदरबांट हो रही है।'

अमिताभ ठाकुर के मुताबिक, 'सुविधाओं का 60-70 फीसदी हिस्सा तो भ्रष्टाचार में चला जा रहा है। कैदियों से उगाही अलग से हो रही है। नहीं देने पर उनके साथ मार-पीट करना आम बात है। कुल मिलाकर यह जेल की संस्कृति बन गई है।' अमिताभ ठाकुर कहते हैं, 'मैं जब लखनऊ जेल में बंद था तब मैंने जवाहर लाल नेहरू के लखनऊ जेल के अनुभव के बारे में पढ़ा था। नेहरू ने जेल के अपने जो अनुभव लिखे थे, उन्हें पढ़ते हुए ऐसा लग रहा था जैसे मैं अपने अनुभव बयां कर रहा हूं, यानी तब से लेकर अब तक जेल के सिस्टम और जेल के अफसरों के रवैये में कोई बदलाव नहीं है।'

■■

बढ़ती गर्मी की लहरें और बदलता हीट इंडेक्स; बचाव के उपाय

Image Source: apnews.com

'शहरी ऊष्मा द्वीप' प्रभाव (Urban Heat Island Effect) बढ़ रहा है। कंक्रीट की इमारतें और सड़कें गर्मी को अवशोषित करती हैं और रात में भी उसे उत्सर्जित करती रहती हैं, जिससे शहरों में तापमान आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में काफी अधिक रहता है।

भारत, एक उष्णकटिबंधीय देश होने के नाते, सदियों से गर्मी का अनुभव करता रहा है। हालाँकि, पिछले कुछ वर्षों में गर्मी की लहरों (लू) की आवृत्ति, अवधि और तीव्रता में चिंताजनक वृद्धि देखी गई है। इसके साथ ही, हीट इंडेक्स का पैटर्न भी बदल रहा है, जिससे गर्मी की असहनीयता और स्वास्थ्य संबंधी खतरे बढ़ रहे हैं। हीट इंडेक्स वह माप है जो बताता है कि हवा का तापमान और आर्द्रता मिलकर मानव शरीर को कितना गर्म महसूस कराते हैं। इसे अक्सर 'महसूस होने वाला तापमान' कहा जाता है। गर्मियों में पसीना निकलने की प्रक्रिया से शरीर ठंडा रहता है लेकिन उच्च हीट इंडेक्स पसीने के माध्यम से शरीर को ठंडा करने से रोकता है और यह घातक हो सकता है। बढ़ती गर्मी की लहरें और बदलता हीट इंडेक्स न केवल मानव स्वास्थ्य पर गंभीर प्रभाव डाल रहे हैं, बल्कि कृषि, अर्थव्यवस्था और पर्यावरण पर भी व्यापक असर डाल रहे हैं।

गर्मी की लहरों और बदलते हीट इंडेक्स पैटर्न के कारण

भारत में गर्मी की लहरों और हीट इंडेक्स पैटर्न में बदलाव के कई जटिल कारण हैं, जिनमें से कुछ प्रमुख निम्नलिखित हैं-

जलवायु परिवर्तन:

वैश्विक स्तर पर हो रहे जलवायु परिवर्तन का भारत पर भी स्पष्ट प्रभाव दिख रहा है। ग्रीनहाउस गैसों के उत्सर्जन में वृद्धि के कारण पृथ्वी का औसत तापमान बढ़ रहा है, जिससे गर्मी की लहरें अधिक बार, अधिक तीव्र और लंबी अवधि की हो रही हैं। बढ़ते तापमान के साथ वायुमंडल में अधिक नमी धारण करने की क्षमता भी बढ़ जाती है, जिससे सापेक्षिक आर्द्रता में वृद्धि होती है और हीट इंडेक्स उच्च होता है।

शहरीकरण और वनों की कटाई:
शहरों का तेजी से विकास और वनों की अंधाधुंध कटाई के कारण 'शहरी ऊष्मा द्वीप' प्रभाव (Urban Heat Island Effect) बढ़ रहा है। कंक्रीट की इमारतें और सड़कें गर्मी को अवशोषित करती हैं और रात में भी उसे उत्सर्जित करती रहती हैं, जिससे शहरों में तापमान आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में काफी अधिक रहता है। शहरी क्षेत्रों में हरियाली की कमी वाष्पीकरण के माध्यम से प्राकृतिक शीतलन प्रक्रिया को बाधित करती है, जिससे हीट इंडेक्स में वृद्धि होती है। वनों की कटाई के कारण मिट्टी की नमी कम हो जाती है और वाष्पीकरण की प्रक्रिया बाधित होती है, जिससे तापमान में वृद्धि होती है।

मौसम संबंधी कारक:
कुछ विशिष्ट मौसम संबंधी स्थितियाँ भी गर्मी की लहरों और उच्च हीट इंडेक्स को जन्म देती हैं। इनमें शुष्क और गर्म हवाओं का चलना, आसमान का साफ रहना, और उच्च दबाव प्रणालियों का बनना शामिल है, जो गर्म हवा को नीचे धकेलते हैं और उसे स्थिर रखते हैं।

भूमि उपयोग में परिवर्तन और सिंचाई के पैटर्न में बदलाव:
कृषि पद्धतियों में बदलाव और कुछ क्षेत्रों में गहन सिंचाई के कारण स्थानीय तापमान और आर्द्रता दोनों प्रभावित होते हैं, जिससे हीट इंडेक्स में वृद्धि हो सकती है।

गर्मी की लहरों और बदलते हीट इंडेक्स के प्रभाव

बढ़ती गर्मी की लहरें और बदलता हीट इंडेक्स विभिन्न पहलुओं पर गंभीर प्रभाव डाल रहे हैं-

मानव स्वास्थ्य पर प्रभाव:
गर्मी की लहरें और उच्च हीट इंडेक्स मानव स्वास्थ्य के लिए एक बड़ा खतरा हैं। इनके कारण हीटस्ट्रोक (लू लगना), हीट रैश (घमौरी), हीट क्रैम्प्स (गर्मी में ऐंठन), डिहाइड्रेशन (शरीर में पानी की कमी), और थकान जैसी समस्याएं हो सकती हैं। उच्च आर्द्रता के साथ उच्च तापमान हीटस्ट्रोक के खतरे को और बढ़ा देता है। कमजोर वर्ग, जैसे कि बच्चे, बुजुर्ग, गर्भवती महिलाएं, और पहले से ही बीमारियों से जूझ रहे लोग, इनके प्रति अधिक संवेदनशील होते हैं। गंभीर मामलों में हीटस्ट्रोक जानलेवा भी हो सकता है। न केवल मानव स्वास्थ्य पर, बल्कि गर्मी की लहरों और उच्च हीट इंडेक्स का थल व जल में रहने वाले अन्य जीव-जन्तुओं व वनस्पतियों पर भी गंभीर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है।

कृषि पर प्रभाव:
गर्मी की लहरें और उच्च हीट इंडेक्स कृषि क्षेत्र के लिए विनाशकारी साबित हो सकते हैं। उच्च तापमान और पानी की कमी फसलों को नुकसान पहुंचा सकती है, उनकी उपज कम कर सकती है और मिट्टी की उर्वरता को भी प्रभावित कर सकती है। सूखे की स्थिति गर्मी की लहरों के प्रभाव को और बढ़ा देती है, जिससे किसानों को भारी नुकसान होता है और खाद्य सुरक्षा पर खतरा मंडराता है।

गर्मी की लहरों और उच्च हीट इंडेक्स की गंभीर प्रभावों से बचने के लिए जरूरी है कि मौसम विभाग की चेतावनियों पर ध्यान दिया जाए और उसके अनुसार अपनी दिनचर्या में बदलाव के साथ ही सुरक्षात्मक इंतजाम भी किए जाएं।

अर्थव्यवस्था पर प्रभाव:
गर्मी की लहरों और उच्च हीट इंडेक्स का अर्थव्यवस्था पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। कृषि उत्पादन में कमी से खाद्य पदार्थों की कीमतें बढ़ सकती हैं। श्रम उत्पादकता में कमी आती है क्योंकि अत्यधिक गर्मी में काम करना मुश्किल हो जाता है। ऊर्जा की मांग बढ़ जाती है क्योंकि लोग अपने घरों और कार्यालयों को ठंडा रखने के लिए एयर कंडीशनर और अन्य उपकरणों का अधिक उपयोग करते हैं, जिससे बिजली ग्रिड पर दबाव बढ़ता है। उत्पादकता में कमी और खर्चों में वृद्धि के रूप में इसका नकारात्मक प्रभाव स्पष्ट दिखाई देता है।

पर्यावरण पर प्रभाव:
गर्मी की लहरें और उच्च हीट इंडेक्स पर्यावरण पर भी नकारात्मक प्रभाव डालते हैं। वे जल स्रोतों को सुखा सकती हैं, वन्यजीवों को खतरे में डाल सकती हैं और जंगलों में आग लगने की घटनाओं को बढ़ा सकती हैं। उच्च तापमान के कारण मिट्टी की नमी कम हो जाती है, जिससे भू-क्षरण का खतरा बढ़ जाता है।

बचाव के उपाय

गर्मी की लहरों और उच्च हीट इंडेक्स के हानिकारक प्रभावों से बचाव के लिए व्यक्तिगत और सामुदायिक स्तर पर कुछ उपाय किए जा सकते हैं-

व्यक्तिगत स्तर पर बचाव के उपाय

हाइड्रेटेड रहें और शरीर को ठंडा रखें: गर्मी के दिनों में खूब पानी पिएं। प्यास न लगने पर भी नियमित अंतराल पर पानी पीते रहें। इलेक्ट्रोलाइट्स युक्त पेय पदार्थ जैसे कि ओआरएस (ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन), नींबू पानी और नारियल पानी का सेवन करें। चाय, कॉफी और सोडा जैसे कैफीन युक्त पेय पदार्थों से बचें, क्योंकि ये शरीर को डिहाइड्रेट कर सकते हैं।

हल्के और ढीले-ढाले कपड़े पहनें: हल्के रंग के, सूती या अन्य सांस लेने योग्य कपड़े पहनें। गहरे रंग के कपड़े गर्मी को अधिक सोखते हैं। टोपी या छाते का उपयोग करें ताकि सीधे धूप से बचाव हो सके।

धूप में निकलने से बचें: खासकर दिन के सबसे गर्म समय में (दोपहर 12 बजे से शाम 4 बजे तक) बाहर निकलने से बचें। यदि आवश्यक हो, तो सुरक्षात्मक कपड़े और सनस्क्रीन का उपयोग करें।

ठंडी जगहों पर रहें: यदि संभव हो तो वातानुकूलित (एयर-कंडीशन्ड) स्थानों पर रहें। यदि आपके पास एयर कंडीशनर नहीं है, तो शॉपिंग मॉल, पुस्तकालयों, सामुदायिक केंद्रों या अन्य ठंडे सार्वजनिक स्थानों पर कुछ समय बिताएं। घर को ठंडा रखने के लिए खिड़कियों और दरवाजों

पर पर्दे या शेड लगाएं। रात में खिड़कियां खोलकर हवा आने दें।

नियमित रूप से स्नान करें या ठंडे पानी के छींटे मारें: उच्च हीट इंडेक्स के प्रभाव से बचने के लिए केवल पानी पीना ही पर्याप्त नहीं है, शरीर को बाहरी तौर से भी ठंडा करने की जरूरत होती है। अपने शरीर को ठंडा रखने के लिए दिन में ठंडे पानी से नहाएं या अपने सिर, चेहरे और गर्दन पर ठंडे पानी के छींटे मारें।

भारी भोजन से बचें: हल्का और आसानी से पचने वाला भोजन करें। ताजे फल और सब्जियां खाएं जिनमें पानी की मात्रा अधिक होती है। शराब और धूम्रपान से बचें। शराब और धूम्रपान शरीर को डिहाइड्रेट कर सकते हैं और गर्मी के प्रति संवेदनशीलता बढ़ा सकते हैं।

शारीरिक गतिविधि सीमित करें: गर्मी के दिनों में जोरदार व्यायाम या शारीरिक श्रम से बचें। यदि आपको बाहर काम करना है तो सुबह जल्दी या शाम को देर से करें और नियमित रूप से ब्रेक लें।

अपने आसपास के लोगों का ध्यान रखें: खासकर बुजुर्गों, बच्चों और बीमार लोगों पर ध्यान दें। यदि उन्हें गर्मी से संबंधित कोई समस्या हो रही है, तो तुरंत चिकित्सा सहायता लें। घर पर प्राथमिक उपचार की व्यवस्था रखें। ओआरएस घोल और बुनियादी दवाएं घर पर रखें ताकि मामूली गर्मी से संबंधित बीमारियों का तुरंत इलाज किया जा सके।

मौसम की जानकारी रखें: मौसम विभाग की गर्मी की लहरों और उच्च हीट इंडेक्स से संबंधित चेतावनियों पर ध्यान दें और उसके अनुसार अपनी योजनाओं में बदलाव करें।

समुदाय के रूप में गर्मी को मात देने के कम लागत वाले विकल्प:

गर्मी की लहरों और बढ़ते हीट इंडेक्स के प्रभावों को कम करने के लिए सामुदायिक स्तर पर कई कम लागत वाले प्रभावी उपाय किए जा सकते हैं-

सामुदायिक शीतलन केंद्र: सार्वजनिक भवनों जैसे स्कूलों, सामुदायिक केंद्रों और धार्मिक स्थलों को दिन के सबसे गर्म समय में शीतलन केंद्रों के रूप में स्थापित किया जा सकता है। इन केंद्रों में पंखे, पानी और प्राथमिक चिकित्सा की सुविधा होनी चाहिए। कमजोर वर्ग के लोग, जिनके घरों में शीतलन की व्यवस्था नहीं है, इन केंद्रों का उपयोग कर सकते हैं। बाजार संघों को भी शेड्स और आपात स्थिति में श्रमिकों को राहत के लिए कूलिंग सेंटर स्थापित करने की आवश्यकता है।

पानी की उपलब्धता बढ़ाना: सार्वजनिक स्थानों पर पीने के पानी की व्यवस्था की जानी चाहिए ताकि लोगों को हाइड्रेटेड रहने में मदद मिल सके। स्वयंसेवी संगठन, बाजार संघ और स्थानीय प्रशासन मिलकर यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि सभी के लिए स्वच्छ पानी उपलब्ध हो।

हरियाली बढ़ाना: सामुदायिक स्तर पर वृक्षारोपण अभियान चलाए जाने चाहिए। पेड़ न केवल छाया प्रदान करते हैं बल्कि वाष्पोत्सर्जन के माध्यम से आसपास के तापमान को भी कम करते हैं। पार्कों, सड़कों के किनारे और खाली पड़ी जमीनों पर पेड़ लगाए जा सकते हैं। लेकिन इससे ज्यादा जरूरी है कि जो पेड़ पहले से मौजूद हैं उनकी कटाई को रोका जाए।

छत पर शीतलन और बागवानी : घरों और इमारतों की छतों पर सफेद रंग का पेंट करने से सौर विकिरण का अवशोषण कम होता है, जिससे अंदर का तापमान कम रहता है। इसके अलावा छतों पर बागवानी करने से न केवल हरियाली बढ़ती है बल्कि इमारतें भी ठंडी रहती हैं। यह एक कम लागत वाला और प्रभावी तरीका है।

पारंपरिक शीतलन तकनीक: पारंपरिक शीतलन तकनीकों जैसे कि मिट्टी के बर्तनों में पानी रखना, खस की चटाई का उपयोग करना और आंगन में पानी छिड़कना आदि को बढ़ावा दिया जा सकता है। ये तकनीकें बिजली पर निर्भर नहीं होती हैं और गर्मी से राहत प्रदान कर सकती हैं।

सामुदायिक जागरूकता और शिक्षा: गर्मी की लहरों और उच्च हीट इंडेक्स के खतरों और उनसे बचाव के उपायों के बारे में जागरूकता अभियान चलाए जाने चाहिए। स्थानीय भाषाओं में सरल और प्रभावी संदेशों के माध्यम से लोगों को हाइड्रेटेड रहने, धूप से बचने और शुरुआती लक्षणों को पहचानने के बारे में शिक्षित किया जा सकता है।

श्रम के समय में बदलाव: जहां संभव हो, श्रमिकों के लिए काम के घंटे दिन के सबसे गर्म समय से हटाकर सुबह जल्दी या शाम को देर से किए जा सकते हैं। नियोक्ताओं को श्रमिकों के लिए छाया और पानी की व्यवस्था सुनिश्चित करनी चाहिए।

सामुदायिक निगरानी और सहायता: स्वयंसेवी समूहों का गठन किया जा सकता है जो गर्मी की लहरों के दौरान कमजोर व्यक्तियों, जैसे बुजुर्गों और बीमार लोगों की निगरानी करें और उन्हें आवश्यक सहायता प्रदान करें।

पानी का कुशल उपयोग: गर्मी बढ़ने के साथ ही जल संकट भी बढ़ जाता है इसलिए जल संरक्षण के उपायों को बढ़ावा दिया जाना चाहिए ताकि गर्मी के महीनों में पानी की कमी से बचा जा सके। वर्षा जल संचयन और पानी के पुनर्चक्रण जैसी तकनीकों को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।

स्थानीय अनुकूलन रणनीतियाँ: प्रत्येक समुदाय को अपनी स्थानीय जलवायु और संसाधनों के अनुसार गर्मी से बचाव के लिए अनुकूलित रणनीतियाँ विकसित करनी चाहिए। इसमें स्थानीय पारंपरिक ज्ञान और आधुनिक तकनीकों का संयोजन शामिल हो सकता है।

भारत में बढ़ती गर्मी की लहरें और बदलते हीट इंडेक्स पैटर्न की चुनौती से निपटने के लिए जलवायु परिवर्तन को कम करने के लिए वैश्विक प्रयासों के साथ-साथ हमें व्यक्तिगत और सामुदायिक स्तर पर भी कदम उठाने होंगे। जागरूकता बढ़ाना, बचाव के उपायों को अपनाना, और कमजोर वर्गों की सुरक्षा सुनिश्चित करना इस दिशा में महत्वपूर्ण कदम हैं। सामुदायिक भावना, स्थानीय ज्ञान और सरल तकनीकों के उपयोग से सरकार, नागरिक समाज संगठन और स्थानीय समुदाय मिलकर लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित कर सकते हैं और बढ़ती गर्मी व बदलते हीट इंडेक्स की चुनौती का प्रभावी ढंग से सामना किया जा सकता है। ■■

जलवायु अपडेट...

सतत विकास: एशिया पेसिफिक पीपुल्स फोरम

अजय झा

‘समिट ऑफ द फ्यूचर’ के वादे के बावजूद हम ‘बहुपक्षवाद को कगार से वापस लाने’ से बहुत दूर हैं, और विकासशील और औद्योगिक दुनिया के बीच विभाजन के कारण वित्त के प्रश्न पर सभी संयुक्त राष्ट्र प्रक्रियाएँ ठप हो रही हैं।

सतत विकास पर एशिया पेसिफिक पीपुल्स फोरम (APPFSD) का आयोजन 23 और 24 फरवरी को बैंकॉक के टिनिदी ट्रेंडी खाओसान होटल में किया गया। इसमें एशिया प्रशांत के सभी हिस्सों से 130 से अधिक नागरिक समाज संगठनों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया, साथ ही एशिया और प्रशांत के लिए आर्थिक और सामाजिक आयोग (ESCAP) और संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा (UNEP) (एशिया पेसिफिक रीजनल ऑफिस और नैरोबी स्थित मुख्यालय) के सहयोगियों ने भी शिरकत की। पीपुल्स फोरम का आयोजन एशिया पेसिफिक रीजनल सीएसओ एंगेजमेंट मेकेनिज्म (APRCEM) द्वारा ESCAP और UNEP के सहयोग और समर्थन से किया गया था। APPFSD के आयोजन के लिए सचिवालयी सहायता एशिया पैसिफिक माइग्रेंट्स मिशन (APMM, हांगकांग स्थित प्रवासियों का एक नेटवर्क) द्वारा प्रदान की गई थी। APPFSD का विषय थाः ‘लोगों के लिए विकास एजेंडा को पुनः प्राप्त करना, एशिया और प्रशांत में विकास न्याय को आगे बढ़ाना।’ इसके साथ ही APRCEM का आह्वान भी थाः ‘शक्ति बदलो – व्यवस्था बदलो।’

फोरम का उद्घाटन APRCEM की सह-अध्यक्षों में से एक जॉय हर्नांडेज के स्वागत भाषण के साथ हुआ। जॉय ने नागरिक स्थान के लगातार सिकुड़ने पर जोर दिया और प्रतिभागियों से इस नए सामान्य को स्वीकार करने से इनकार करने का आग्रह किया। ESCAP के उप कार्यकारी सचिव श्री हिरोहितो टोडा ने अपने उद्घाटन भाषण में कहा कि विकास के लिए वित्तपोषण पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन (FFD) (सेविले, 30 जून-3 जुलाई), सतत विकास पर दूसरा विश्व शिखर सम्मेलन (दोहा, कतर, 4-6 नवंबर) और भविष्य के समझौते (POTF) के कार्यान्वयन के आलोक में यह वर्ष एजेंडा 2030 के लिए एक महत्वपूर्ण वर्ष है।

उद्घाटन सत्र के बाद, सह-अध्यक्ष (APRCEM) अजय के झा ने मुख्य भाषण दिया। उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि समिट ऑफ द फ्यूचर (SOTF) के वादे के बावजूद हम ‘बहुपक्षवाद को कगार से वापस लाने’ से बहुत दूर हैं, और विकासशील और औद्योगिक दुनिया के बीच विभाजन के कारण वित्त के प्रश्न पर सभी संयुक्त राष्ट्र प्रक्रियाएँ ठप हो रही हैं। उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र में गरीबी, भूख और असमानता गहरी, व्यापक और अधिक मजबूत होती जा रही है। बुनियादी खामी आर्थिक प्रतिमान में निहित है जो अमीरों को और अमीर व गरीबों को और गरीब बनाता है और आम जनता के बजाय केवल अभिजात्य वर्ग के हितों की पूर्ति करता है।

सत्र 1 में, UNEP के सहयोगियों श्री सुब्रत सिन्हा और सुश्री मारिया हानेस ने फिजी में आगामी क्षेत्रीय पर्यावरण मंत्रियों की बैठक (अगस्त) के बारे में जानकारी साझा की, जो दिसंबर 2025 में नैरोबी में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा (UNEA) की तैयारी की दिशा में है। ESCAP के श्री दयान शयानी ने एशिया प्रशांत में एसडीजी पर हाल ही में जारी प्रगति साझा की।

‘सतत विकास; जमीनी हकीकत’ नामक दूसरे सत्र में जमीनी स्तर के संगठनों और नेटवर्क की भागीदारी देखी गई, जिन्होंने अपने दृष्टिकोण से SDG (प्रगति की कमी) पर विचार किया। इस सत्र का संचालन बीना पल्लीकल ने किया और इसमें बेरंडा माइग्रान (फिलीपींस से प्रवासी नेटवर्क) से हनिंदा क्रिस्टी, नून योदमुआंग (थाईलैंड से एशिया प्रशांत ट्रांसजेंडर नेटवर्क) और रेणुका काड (वाक - मछुआरा नेटवर्क, भारत) सहित वक्ताओं ने भाग लिया। सभी ने इस बात पर प्रकाश डाला कि कैसे उनके समुदाय न केवल एजेंडा 2030 में पीछे छूट रहे हैं, बल्कि नव-उदारवादी नीतियों द्वारा और पीछे धकेले जा रहे हैं।

अगला सत्र 'बहुपक्षवाद में कमियों और लोगों द्वारा एजेंडा 2030 पर कैसे दावा किया जा सकता है' पर केंद्रित था। उद्घाटन वक्ता डॉ. कटिंका वेनबर्गर (ESCAP) ने सामाजिक विकास पर दूसरे विश्व शिखर सम्मेलन और तैयारी से जुड़ी क्षेत्रीय गतिविधियों पर बात की। उन्होंने दर्शकों को सूचित किया कि पहली परामर्श बैठक नवंबर 2024 में आयोजित की गई थी और अगले ESCAP आयोग सत्र में वर्ल्ड समिट ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट (WSSD) पर एक अधिक विस्तृत सत्र भी होगा। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि WSSD पहले शिखर सम्मेलन घोषणा और कार्रवाई कार्यक्रम (1995) के अधूरे काम को आगे बढ़ाएगा और गरीबी उन्मूलन, रोजगार और सामाजिक सुरक्षा और सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज पर WSSD के महत्वपूर्ण एजेंडा के रूप में ध्यान केंद्रित करेगा। अली जिलानी (कराची रिसर्च चेयर), अप्रैल पोर्टेरिया (APWLD), और केट लैपिन (पब्लिक सर्विसेज इंटरनेशनल) सहित तीन वक्ताओं ने (1) 2030 एजेंडा की उपलब्धि में झूठे समाधान, (2) सिकुड़ते नागरिक स्थान और संयुक्त राष्ट्र पर कॉर्पोरेट कब्जा, (3) बहुपक्षवाद में कमियों और चुनौतियों के संदर्भ में कार्यान्वयन के साधनों में नीति सामंजस्य और जन-केंद्रित बहुपक्षवाद को कैसे विकसित किया जाए, इस पर बात की। सत्र का संचालन आईएसईए के गोमर पैडोंग ने किया।

ब्रेक आउट रूम में तथ्य पत्रक प्रस्तुति और चर्चा हुई और रिपोर्ट वापस दी गई। तथ्य पत्रक और चर्चा समीक्षाधीन एसडीजी (SDG3, SDG5, SDG8, SDG14 और SDG17) और बहुपक्षवाद और कॉर्पोरेट कब्जा, सैन्यवाद, युद्ध और संघर्ष, और जलवायु परिवर्तन जैसे अन्य महत्वपूर्ण क्रॉस-कटिंग मुद्दों पर केंद्रित थी। स्थिति, प्रगति, चुनौतियां, लोगों की मांगों और अपेक्षाओं पर समृद्ध चर्चा हुई जिसने APPFSD के सामूहिक बयान को पोषित किया।

पहले दिन के अंतिम सत्र में विभिन्न हितधारक और उपक्षेत्रीय समूहों की बैठकें हुई। हितधारक समूहों की बैठकें हाइब्रिड मोड में आयोजित की गईं, जबकि उप-क्षेत्रीय बैठकें व्यक्तिगत रूप से आयोजित की गईं ताकि सदस्य व्यक्तिगत रूप से मिल सकें और सामूहिक बयान में इनपुट प्रदान कर सकें।

दूसरे दिन की शुरुआत स्वैच्छिक राष्ट्रीय समीक्षा (VNR) पर सत्र के साथ हुई। इस वर्ष एशिया पेसिफिक के 13 देश HLPF में वीएनआर में भाग ले रहे हैं, जिसने सत्र के महत्व को रेखांकित किया। सुश्री जिमरेक्स कैलाटन (IP और Tebtebba, फिलीपींस), जमीला असानोवा (ARGO, कजाकिस्तान) और कुहनीथा बाई (यंग डिप्लोमैट्स, मलेशिया) ने राष्ट्रीय वीएनआर प्रक्रियाओं में शामिल होने के अपने अनुभव और देशों के वीएनआर से अपनी अपेक्षाओं को साझा किया। उन सभी ने इस बात पर जोर दिया कि राष्ट्रीय समीक्षा होने के बजाय, यह मुख्य रूप से सरकार द्वारा की गई समीक्षा थी जो राजधानी तक ही सीमित थी, जिसमें सीएसओ और कमजोर समूहों की बहुत कम भागीदारी थी। इस वर्ष या पिछले वर्षों में वीएनआर से गुजर रहे अन्य देशों के प्रतिभागियों ने भी अपने अनुभव साझा किए और कमोबेश वक्ताओं के सुझावों से सहमत हुए कि वीएनआर बहिष्करणकारी हैं, कोई संसदीय निरीक्षण नहीं है और मुख्य रूप से एसडीजी को प्राप्त करने के लिए गंभीर प्रयासों के बजाय देशों की प्रोफाइल और छवि को मजबूत करने के लिए उपयोग किया जाता है। सत्र का संचालन जॉय हर्नांडेज (ITUC AP) और अरुमुगम शंकर (Empower, भारत) ने किया।

अगले सत्र में सुश्री स्टेफानिया पिफेनेली (भविष्य के समझौते कार्यान्वयन दल की अंतरिम निदेशक, संयुक्त राष्ट्र महासचिव का कार्यकारी कार्यालय, न्यूयॉर्क) ने भविष्य के समझौते को लागू करने के लिए महासचिव की दृष्टि पर बात की और विकास के लिए वित्तपोषण पर चौथे अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन और सामाजिक विकास पर दूसरे विश्व शिखर सम्मेलन के सकारात्मक परिणामों के महत्व पर जोर दिया, जो एजेंडा 2030 के निर्माण के महत्वपूर्ण स्तंभ माने जाते हैं। उन्होंने क्षेत्रों और विशेष रूप से एशिया प्रशांत में भविष्य के समझौते के कार्यान्वयन और कार्यान्वयन के लिए दबाव डालने में सीएसओ की भूमिका के महत्व पर भी जोर दिया।

सत्र 7 में 12वें एशिया पेसिफिक फोरम ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट (APFSD) में APRCEM के हस्तक्षेपों की रणनीति बनाने पर ध्यान केंद्रित किया गया। प्रतिभागियों को APFSD, हस्तक्षेप के रास्ते जिसमें पूर्ण सत्र, गोलमेज और साइड इवेंट, और सदन से बयान शामिल हैं, के बारे में जानकारी दी गई।

सत्र 8 का उद्देश्य एसडीजी से आगे बढ़ना और लोगों के अभियानों का निर्माण और सुदृढ़ीकरण करना था। सत्र एशिया प्रशांत में जाने-माने अभियानों के इनपुट के साथ शुरू हुआ। वक्ताओं में सेंटर फॉर पीपुल्स कैंपेन ऑन डेवलपमेंट इफेक्टिवनेस से मारिया जेनिफर गुस्ते, पलाऊ रिसोर्स इंस्टीट्यूट से विल्लेनी रेमेन्गेसाउ और सेंटर फॉर रिसर्च एंड एडवोकेसी, मणिपुर से जितेन युमनाम शामिल थे। वली हैदर (रूट्स फॉर इक्विटी, पाकिस्तान) द्वारा संचालित इस सत्र में प्रतिभागियों ने प्रभावी अभियान विकसित करने पर अपने अनुभव साझा किए। इनपुट के बाद ब्रेकआउट सत्र हुए जिसमें लोगों ने चर्चा की कि वे APRCEM के विकास न्याय के आह्वान के पांच परिवर्तनकारी बदलावों (पुनर्वितरणकारी न्याय, आर्थिक न्याय, सामाजिक और लैंगिक न्याय, पारिस्थितिक न्याय और लोगों के प्रति जवाबदेही) पर कैसे विचार कर रहे हैं या उन्हें शामिल कर रहे हैं।

समापन सत्र का शीर्षक 'APRCEM TOWN HALL' था, जिसने प्रतिभागियों को दो दिवसीय पीपुल्स फोरम पर अपनी प्रतिक्रिया और पीपुल्स फोरम के शासन या संगठन में सुधार के लिए अपने सुझाव देने का अवसर प्रदान किया। अजय के झा ने APRCEM का परिचय दिया (चूंकि 60 प्रतिशत से अधिक प्रतिभागी पहली बार पीपुल्स फोरम में भाग ले रहे थे)। प्रतिभागियों ने फोरम में भागीदारी में सुधार के लिए सकारात्मक प्रतिक्रिया और प्रासंगिक सुझाव दिए (3 दिवसीय मंच, अधिक यात्रा सहायता, जमीनी स्तर के समूहों के लिए अधिक प्रतिनिधित्व, हाइब्रिड मंच, राष्ट्रीय स्तर पर मिनी मंच आदि)। युवा संगठनों सहित कई प्रतिभागियों ने APRCEM में शामिल होने में अपनी गहरी रुचि भी व्यक्त की। समापन टिप्पणी और कार्रवाई का आह्वान APRCEM की सह-अध्यक्षों में से एक ओल्गा ड्ज़ानाएवा द्वारा किया गया।

पीपुल्स फोरम के औपचारिक समापन में 'एकजुटता और सांस्कृतिक घंटा' आयोजित किया गया, जिसने प्रतिभागियों को अपने काम (अभियानों) को संक्षेप में प्रस्तुत करने और बढ़ावा देने में सक्षम बनाया। 20 से अधिक संगठनों ने भूमि, खाद्य संप्रभुता, श्रमिकों, एलजीबीटीक्यूआई, पीडब्ल्यूडी, शहरी गरीबों, युवाओं, बालिकाओं, शिक्षा, प्रवासियों और महिलाओं आदि पर अपने अभियान साझा किए। अभियान के गीतों और नृत्यों के साथ-साथ वीडियो ने एकजुटता और सांस्कृतिक घंटे को बहुत रोमांचक और दिलचस्प बना दिया। सत्र का संचालन रे असिस (APMM) और नून योदमुआंग (APTN) ने किया।

■■

पैरवी गतिविधियाँ...

जलवायु न्याय और सतत विकास पर राष्ट्रीय एडवोकेसी कार्यशाला

20 से 22 मार्च, 2025 तक पैरवी ने राजस्थान के पाली के दर्शनीय जवई बांध में 'जलवायु न्याय और सतत विकास; सामुदायिक भूमिकाओं और कार्यों का प्रोत्साहन' विषय पर तीन दिवसीय राष्ट्रीय आवासीय कार्यशाला का आयोजन किया। कार्यशाला में भारत के नौ राज्यों के 28 प्रतिभागियों को एक साथ लाया गया, जिसमें सामुदायिक नेता, जमीनी स्तर के कार्यकर्ता, युवा जलवायु अधिवक्ता और नागरिक समाज संगठनों के प्रतिनिधि शामिल थे। कार्यशाला का उद्देश्य जलवायु विज्ञान की समझ को गहरा करना, जलवायु संकट के सामाजिक-आर्थिक और राजनीतिक कारकों को समझना, और समुदाय के नेतृत्व वाली जलवायु कार्रवाई में संलग्न होने के लिए प्रतिभागियों को ज्ञान और उपकरणों के इस्तेमाल के लिए तैयार करना था। कार्यशाला में समृद्ध और विविध विषयों को शामिल किया गया, जिसमें जलवायु विज्ञान के मूल सिद्धांतों, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय जलवायु नीतियों के महत्वपूर्ण विश्लेषण और झूठे समाधानों, मिथकों और गलतफहमियों, जलवायु के दुष्प्रभावों से निपटने के लिए कमजोरियों और नाजुक कड़ियों के आकलन और स्थानीयकृत रणनीतियों पर सत्रों के साथ गर्मी की लहरा, गर्मी सूचकांक (हीट इंडेक्स) व अन्य मौसम संबंधी चरम घटनाओं के प्रभावों पर विशेष ध्यान दिया गया था।

पैरवी से अजय झा, और मौसम से सौम्या दत्ता ने प्रमुख प्रशिक्षकों के रूप में संवादात्मक सत्रों के माध्यम से महत्वपूर्ण सोच और संवाद को प्रोत्साहित किया। पैरवी के दीनबंधु वत्स ने जलवायु परिवर्तन और बाल अधिकारों पर बात की, जिसमें बच्चों के स्वास्थ्य, शिक्षा और समग्र कल्याण पर जलवायु-प्रेरित संकट के असमान प्रभाव पर जोर दिया गया। सुमेरपुर के अरावली कॉलेज के प्रिंसिपल केपी सिंह ने राजस्थान की पारंपरिक जल संरक्षण प्रथाओं पर मूल्यवान अंतर्दृष्टि साझा की, जिसमें जोहड़, बावड़ी और टांका जैसे सदियों पुराने मॉडल भी शामिल हैं, जो कि सूखे क्षेत्रों में टिकाऊ और समुदाय-संचालित जल प्रबंधन समाधान के रूप में काम करते हैं। कार्यशाला का समापन प्रतिभागियों द्वारा एक संक्षिप्त कार्य योजना विकसित करने के साथ हुआ, जिसमें उनके स्थानीय संदर्भ के अनुरूप और समुदायों के भीतर जलवायु अनुकूलन, वकालत और जागरूकता के लिए कदमों को रेखांकित किया गया। इनमें साक्ष्य इकट्ठा करना, स्थानीय जलवायु साक्षरता अभियान, सामुदायिक वल्नरेबिलिटी मैपिंग, पर्यावरण शिक्षा पर समुदाय का जुड़ाव और सतत विकास योजना के लिए स्थानीय निकायों के साथ वकालत जैसी पहल शामिल थीं। कार्यशाला ने सामूहिक रूप से सीखने के लिए एक मंच और स्थानीय कार्रवाई के लिए एक स्प्रिंगबोर्ड दोनों के रूप में कार्य किया, जो जलवायु न्याय को आगे बढ़ाने में समुदायों की केंद्रीय भूमिका की पुष्टि करता है।

किशोर न्याय और कानूनी सहायता पर हितधारक संवाद

27 मार्च, 2025 को होटल बीएनएस इंटरनेशनल, सासाराम में 'ब्रेकिंग बैरियर; कलेक्टिव एक्शन फॉर जुवेनाइल जस्टिस एंड लीगल एड' शीर्षक से एक हितधारक संवाद का आयोजन किया गया। बैठक में जेल अधीक्षक, परिवीक्षा अधिकारी, चाइल्ड वेलफेयर सोसाइटी के प्रतिनिधियों, वकीलों, पत्रकारों, समुदाय के सदस्यों और सामाजिक कार्यकर्ताओं सहित लगभग 40 प्रमुख हितधारक शामिल हुए। किशोरों और विचाराधीन कैदियों के लिए प्रभावी कानूनी सहायता में बाधा उत्पन्न करने वाली प्रणालीगत बाधाओं को संबोधित करने के उद्देश्य से इस संवाद का आयोजन किया गया था। चर्चाओं ने कानूनी सहायता अंतर को पाटने के लिए मजबूत अंतर-एजेंसी सहयोग, बेहतर जवाबदेही तंत्र और सामूहिक रणनीतियों की आवश्यकता पर जोर दिया। अंतर्दृष्टि के आदान-प्रदान से कई मूल्यवान सिफारिशें सामने आईं जो किशोर न्याय प्रणाली में चल रहे और भविष्य के हस्तक्षेपों को सकारात्मक रूप से प्रभावित करेंगी।

कानूनी सहायता पहलों पर समीक्षा और योजना बैठक

विधि के जोखिम में फंसे बच्चों और विचाराधीन कैदियों की कानूनी सहायता पहल के कार्यान्वयन का आकलन करने के लिए 27 मार्च, 2025 को होटल बीएनएस इंटरनेशनल, सासाराम में एक समीक्षा और

योजना बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में पैरवी स्टाफ और प्रमुख क्षेत्र-स्तरीय योगदानकर्ता शामिल थे। यह बैठक कार्यक्रम की प्रगति को प्रतिबिंबित करने, कार्यान्वयन के दौरान सामना की जाने वाली चुनौतियों की पहचान करने और उनसे निपटने के तरीकों पर चर्चा करने के साथ ही दस्तावेजीकरण, प्रभाव और लोगों तक पहुँच को बढ़ाने के लिए सुझाए गए संशोधनों और सुधारों के साथ एक अग्रेषित रणनीति तैयार करने की दृष्टि से महत्वपूर्ण बैठक थी।

बाल संरक्षण पर पैरालीगल वालंटियर कार्यशाला

जिला कानूनी सेवा प्राधिकरण, रोहतास के साथ साझेदारी में होटल रिमझिम, डेहरी ऑन सोन, सासाराम में 21-22 फरवरी 2025 को दो दिवसीय पैरालीगल वालंटियर कार्यशाला आयोजित की गई थी। पटना उच्च न्यायालय की अधिवक्ता शशी शर्मा के नेतृत्व में कार्यशाला में किशोर न्याय अधिनियम और POCSO अधिनियम सहित बाल संरक्षण से संबंधित कानूनी ढांचे पर ध्यान केंद्रित किया गया। प्रशिक्षण ने CICL और बच्चों की देखभाल और संरक्षण (CNCP) की आवश्यकता, कानूनी सहायता प्रणाली में PLV की भूमिका और स्थानीय बाल संरक्षण समितियों के कामकाज को मजबूत करने से संबंधित व्यावहारिक कौशल को भी कवर किया। कार्यशाला में हाशिए के समुदायों से उल्लेखनीय प्रतिनिधित्व के साथ कुल 35 पीएलवी ने भाग लिया जिनमें महिलाओं और पुरुषों की संख्या लगभग बराबर थी। वंचित समूहों से महिलाओं की उच्च भागीदारी विशेष रूप से उत्साहजनक थी, जो जमीनी स्तर पर कानूनी प्रयासों में वंचित समुदाय की बढ़ती समावेशिता को दर्शाती है।

युवा संवाद 2025

17 जनवरी को, न्यू यूथ क्लाइमेट कम्युनिकेशन और तत्व - द इको क्लब ने दिल्ली के रामानुजन कॉलेज में डब्ल्यूआरआई इंडिया के समर्थन से एक युवा संवाद का आयोजन किया। यह संवाद यूनिसेफ समर्थित युवा जलवायु चैंपियंस द्वारा आयोजित किया गया था। इस युवा संवाद में पैरवी की ओर से अजय झा और सौम्या दत्ता प्रमुख वक्ता थे, जिन्होंने जलवायु वार्ता और वर्तमान स्थिति, जलवायु न्याय, स्थानीय और युवा पहल की स्थिति पर केन्द्रित विभिन्न विषयों पर बात की।

रोहतास जिले में सामुदायिक बैठकें

फरवरी से मार्च 2025 के बीच पैरवी ने रोहतास जिले के खुदरवां, अर्जुन बिघा, गनुवां, रोपहथा और गोहिन गांवों में पांच सामुदायिक बैठकें कीं। इन बैठकों में सामूहिक रूप से समुदाय के 254 सदस्यों का सक्रिय जुड़ाव देखा गया। इन आयोजनों का प्राथमिक लक्ष्य विधि के जोखिम में फंसे बच्चों और विचाराधीन कैदियों के लिए न्याय और कानूनी अधिकारों तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए पैरवी की चल रही पहल के बारे में जागरूकता बढ़ाना था। इस पहल के उद्देश्यों के बारे में समुदायों को सूचित करने, स्थानीय हितधारकों के साथ संबंधों को बढ़ावा देने, विधि के जोखिम में फंसे बच्चों और विचाराधीन बंदियों की पहचान करने और समुदाय-आधारित पैरालीगल स्वयंसेवकों को सूचीबद्ध करने के उद्देश्य से यह बैठकें आयोजित की गईं। इसके अतिरिक्त, स्थानीय बाल संरक्षण समितियों को सक्रिय करने और मजबूत करने के प्रयास किए गए। इन हस्तक्षेपों के माध्यम से, परियोजना एक सहयोगी ढांचा बनाने की कोशिश करती है जो जिले में पहुंच, दक्षता और कानूनी सहायता की समय पर उपलब्धता को बढ़ाता है।

विधि के जाखिम में फंसे बच्चों और विचाराधीन कैदियों को प्रत्यक्ष कानूनी सहायता

जनवरी से मार्च 2025 के दौरान, पैरवी के प्रत्यक्ष कानूनी हस्तक्षेप से 9 CICL और 5 विचाराधीन कैदियों को जमानत दिलाई गई। सक्रिय प्रयासों ने 9 बच्चों की अनावश्यक गिरफ्तारी को रोकने में भी मदद की। इसके अलावा, 58 व्यक्तियों को न्याय मांगने, समय पर मार्गदर्शन और उन्हें समर्थन सुनिश्चित करने के लिए टेलीफोनिक कानूनी सलाह भी प्रदान की गई।

महिला बीड़ी श्रमिकों के साथ सामुदायिक बैठकें

17 और 23 मार्च 2025 को जबलपुर, मध्य प्रदेश और जमुई, बिहार में महिला बीड़ी श्रमिकों के साथ सामुदायिक बैठकें हुईं। इन बैठकों का उद्देश्य जमीनी स्तर के संगठन को मजबूत करना और सहकारी संगठनों के गठन के लिए तैयार करना था। जमुई में, पोषण उद्यानों को बढ़ावा

देने के लिए स्थानीय सब्जी के बीज भी वितरित किए गए। यह बैठकें स्थानीय समुदायों के साथ दीर्घकालिक विश्वास, आत्मनिर्भरता और गहरे जुड़ाव के निर्माण की दिशा में उठाया गया एक कदम थीं।

पहाड़िया आदिम जनजाति के साथ जुड़ाव

अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, 8 मार्च, 2025 को झारखण्ड के टोंगी पहाड़, लिट्टिपाड़ा ब्लॉक, जिला पाकुड में विशेष रूप से कमजोर आदिवासी समूह (PVTG) 'पहाड़िया' की महिलाओं के साथ एक सामुदायिक बैठक आयोजित की गई जिसमें पहाड़िया समुदाय के लिए एक औपचारिक संघ के निर्माण, सामाजिक सुरक्षा को संबोधित करने और सामूहिक पहचान को बढ़ावा देने के लिए चर्चा हुई। इस बैठक ने इस क्षेत्र में सबसे हाशिए के आदिवासी समूहों में से एक की आवाज और अधिकारों को बढ़ाने में एक सार्थक कदम उठाया।

बीड़ी श्रमिकों और पहाड़िया आदिम जनजाति के लिए सामाजिक सुरक्षा तक पहुंच

जनवरी से मार्च 2025 के दौरान 40 महिला बीड़ी कामगारों (जबलपुर मध्य प्रदेश से 28 और समस्तीपुर, बिहार से 12) के विभिन्न सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के लिए आवेदन प्रस्तुत कराए गए। जबलपुर में बीड़ी वर्कर पंजीकरण कार्ड के लिए 15, सम्बल योजना के लिए 12, और वृद्धावस्था पेंशन के लिए एक आवेदन किया गया और समस्तीपुर में लेबर कार्ड के लिए 7 और प्रधानमंत्री अवास योजना के लिए 5 आवेदन किए गए। इन प्रयासों का उद्देश्य अनौपचारिक महिला बीड़ी श्रमिकों के लिए बेहतर सामाजिक सुरक्षा को सुनिश्चित करना है। झारखण्ड के पाकुड़ जिले में पहाड़िया आदिम जनजाति समुदाय के 16 सदस्यों के आवेदन उन्हें आवश्यक सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के साथ जोड़ने के लिए प्रस्तुत किए गए। इनमें प्रधानमंत्री अवास योजना के लिए 5, पीएम किसान योजना के लिए 4, पीएम कुसुम योजना के लिए 5 और विकलांगता पेंशन के लिए 2 आवेदन शामिल थे। यह प्रयास सरकारी कल्याण तंत्र में पहाड़िया समुदाय के समावेश को सुनिश्चित करने में एक महत्वपूर्ण प्रगति को दर्शाते हैं।

सामुदायिक नेतृत्व वाली एडवोकेसी कार्यशाला में भागीदारी

पैरवी के दीनबंधु वत्स ने 22 से 24 जनवरी 2025 तक बिहार के समस्तीपुर में सामुदायिक नेतृत्व वाली वकालत पर LEPRA INDIA द्वारा आयोजित एक कार्यशाला में प्रमुख प्रशिक्षक के रूप में भाग लिया। कार्यशाला में वकालत कौशल, संचार रणनीतियों, नेतृत्व और सामुदायिक जुड़ाव को बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित किया गया। प्रमुख सत्रों में सामुदायिक मुद्दों की पहचान व दस्तावेजीकरण करना, सरकारी योजनाओं का लाभ उठाना और स्वास्थ्य अधिकारों व मानवाधिकारों के संबंध को समझना शामिल था।

कानूनी जागरूकता पोस्टरों का प्रकाशन और वितरण

बाल अधिकारों और कानूनी प्रक्रियाओं के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए आठ सूचनात्मक पोस्टरों का एक सेट डिजाइन, प्रकाशित और व्यापक रूप से प्रसारित किया गया। यह पोस्टर डीके बसु दिशानिर्देश, CICL के लिए गिरफ्तारी प्रोटोकॉल, बच्चों के कानूनी अधिकार, बच्चों के लिए कानूनी सहायता तंत्र, किशोर न्याय अधिनियम के तहत कानूनी सुरक्षा और बाल संरक्षण में पुलिस और समुदाय की भूमिका पर केन्द्रित थे। इन पोस्टरों को बाल संरक्षण और कानूनी सहायता में शामिल अधिवक्ताओं, PLVs, CWC व JJB सदस्यों, और अन्य प्रमुख हितधारकों के बीच वितरित किया गया। इन पोस्टरों का प्रकाशन और वितरण जमीनी स्तर पर कानूनी साक्षरता के प्रसार और बिहार के रोहतास जिले में कानूनी मदद मुहैया कराने के पैरवी के प्रयासों को मजबूत करने के उद्देश्य से किया गया।

संपादक मंडलः **प्रो. संजय भट्ट, अजय के. झा, रजनीश साहिल**
पैरवी, जी-3, प्रथम तल, लाजपत नगर-3, नई दिल्ली-110024 द्वारा सीमित प्रसार के लिए प्रकाशित
संपर्क - फोनः 011-46101652 | ईमेलः pairvidelhi1@gmail.com | वैबसाइटः www.pairvi.org